

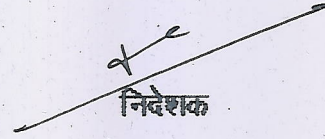
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :-एफ 3 (ग) एसी.पी./1990-11/अलेसे-11/5572-73 जयपुर दिनांक- 28.02.2012

-संशोधन आदेश :-

निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या 229/2011-12 क्रमांक 4928-29 दिनांक 13.01.2012 में क्रम संख्या 1 पर अंकित लेखाकार सत्यराम मीणा की द्वितीय एसीपी स्वीकृति दिनांक 01.01.2012 सहबन्ध से गलत अंकित हो गई थी को संशोधित कर एतद् द्वारा 01.01.2012 के स्थान पर 03.01.2012 से किया जाता है ।

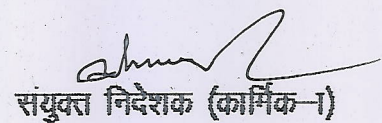
अन्य नियम व शर्तें पूर्वानुसार यथावत रहेगी।


निदेशक

क्रमांक :-एफ 3 (ग) एसी.पी./1990-11/अलेसे-11/5572-73 जयपुर दिनांक- 28.02.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विभागाध्यक्ष/कार्यालयध्यक्ष कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर
- 2 श्री सत्यराम मीणा लेखाकार कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय कारागृह भरतपुर
- 3 निजी सहायक, निदेशक महोदय
- 4 निजी पत्रवली/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग (विनसाईट हेतु)


संयुक्त निदेशक (कार्मिक-1)